

तारीख
 हुजूम

हुजूम की कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुजूम की सामील में
 जारी हुए

7-15

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत श्रीगंगार
 नगर अफसे नगर नैमा सिकरी के प्रत्युत्तर
 प्रयोग संशोधन पत्रे भाग नं. 2 जारी किया
 नि. शा. रावली तहसील फिरोजपुर फिरोका
 जिला बंद मेवात (हरी मण्ड) के अंकन 136
 136 L.R.A. अंकन का फेरबदल किया है कि
 प्रयोग ने अंकन नं. 2 वाले अफ सैफिया
 सिकरी तह. नगर में एक प्र. ए. 76 वर्ग
 मीटर का जमीन रजि. नम्बर 16.6-2008
 को रा. अ. नं. 2 का रजि. नं. 2008 जो कि नैमा
 के ही है कि प्र. ए. 76 वर्ग में नैमा
 संलग्न किया है। इस नैमा का नाम नं. 2
 करते समय लिखित प्र. ए. 76 का नाम
 रावली के स्थान पर सचली दर्ज कर दिया है
 अतः प्रयोग ने अंकन नं. 2 वाले रावली बुद्ध
 किया जावे।

तहसील नगर से अंकन रिपोर्ट-
 तहसील की गर्ज उद्योग अपनी अंकन रिपोर्ट पर
 गैरका में अंकन किया है कि उपरोक्त गैरका
 ने अंकन नैमा के प्रयोग अफ रावली
 तह. फिरोजपुर फिरोका जिला बंद मेवात (हरी
 की रहने वाली है, राजस्व रिकॉर्ड में गैरका
 का नाम सचली गलत दर्ज हो गया है कि
 रावली बुद्ध किया गया अंकन है।

पत्रावली में उपरोक्त दस्तावेजों
 एवं गैरका रिपोर्ट का अचलान किया, कि
 अहकाम पर प्रयोग का गैरका अफ रावली
 में होना पता चलता है जो राजस्व रिकॉर्ड
 में सचली गलत दर्ज किया गया है। अतः
 आदेश है कि प्रयोग-पत्र सचली किया
 जावे। - अंकन नं. 2 वाले अफ सैफिया
 पत्रे तह. नगर में प्रयोग संशोधन पत्रे
 भाग नं. 2 के अंकन का नाम सचली के स्थान
 पर रावली बुद्ध किया जाता है। तहसील
 नैमा पत्रे हेतु लिखित प्रयोग पत्रावली के
 मुफ्त में दस्तावेज दिया है।

(अंकन नं. 2 वाले अफ सैफिया)
 तहसील नगर

(नैमा नं. 2 वाले अफ सैफिया)
 अंकन नं. 2 वाले अफ सैफिया
 नगर (भरतपुर)

